<u>राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.</u>

<u>अपील संख्या – 917/2013/आबकारी/हनुमानगढ़.</u>

विश्वनाथ सैनी प्रोपराईटर ऑफ होटल मौर्या,
नोहर जिला हनुमानगढ़. ......अपीलार्थी.

बनाम

आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर. ....प्रत्यर्थी.

<u>खण्डपीठ</u>
<u>श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष</u>
<u>श्री मनोहर पुरी, सदस्य</u>

उपस्थित : :

श्री विजय कुमार गोयल, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/10/2014

<u>निर्णय</u>

1. अपीलार्थी विश्वनाथ सैनी प्रोपराईटर ऑफ होटल मौर्या, नोहर, हनुमानगढ़ द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9(ए) के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश दिनांक 18.03.2013, जो कि न्यायालय आबकारी आयुक्त, उदयपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक प.32(बी)(110)आब/एल/2011/200 दिनांक 18.03.2013 को पारित किया गया, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने आबकारी विभाग में अनुज्ञापत्र जारी करने के लिये दिनांक 16.5.2012 को आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया तथा अपीलार्थी आबकारी विभाग की विहित आवश्यकता की पूर्ति करता है तथा आबकारी विभाग ने आवेदन में कोई त्रुटि नहीं पाई तथा आवेदन को प्रोसेस करने के लिये स्वीकार किया।

3. आबकारी आयुक्त उदयपुर ने उनके आदेश दिनांक 23.3.2012, जो उनको अतिरिक्त आयुक्त के आदेश क्रमांक 1452 दिनांक 23.3.2012 के द्वारा संसूचित हुआ, के द्वारा आवेदन पत्र को दो आधारों पर खारिज किया, प्रथम–होटल बार लाईसेंस जारी करने की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है व दूसरा–एक मुकदमा श्री सुदर्शन बनाम मुन्नालाल बनाम राज्य शीर्षक से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नोहर के न्यायालय में लम्बित है।

4. अपीलार्थी द्वारा आबकारी आयुक्त के उपरोक्त आदेश दिनांक 23.3.2012 के विरूद्ध माननीय कर बोर्ड में अपील संख्या 1908/2012/हनुमानगढ़ प्रस्तुत की गई।

लगातार.................2

5. माननीय कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 1908/2012 को आदेश दिनांक 03.01.2013 के द्वारा निर्णीत कर निस्तारित किया तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण आबकारी आयुक्त को प्रतिप्रेषित किया गया।

6. जिला आबकारी अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा फूड लाईसेंस की प्रति, होटल के TIN की प्रति, PAN की प्रति तथा लाईसेंस फीस वर्ष 2012–13 के लिये जमा कराने की चालान की प्रति की मांग की गई।

7. अपीलार्थी ने समस्त दस्तावेज जिला आबकारी अधिकारी हनुमानगढ़ को दिनांक 6.3.2013 को उपलब्ध करा दिये तथा प्रार्थना की कि वह वर्ष 2013–14 की लाईसेंस फीस जमा कराने को तैयार है, क्योंकि वर्ष 2012–13 में कुछ दिन ही बाकी बचे हैं।

8. अपीलार्थी को जिला आबकारी अधिकारी हनुमानगढ़ ने बताया कि उनके प्रार्थना–पत्र को आबकारी आयुक्त को अग्रेषित कर दिया गया है तथा बाद में ज्ञात हुआ कि आबकारी आयुक्त ने दिनांक 18.03.2013 को प्रारम्भिक लाईसेंस फीस जमा नहीं कराने के कारण प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया। आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 18.03.2013 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

9. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

10. बहस में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आबकारी आयुक्त का आदेश अविधिक, स्वैच्छाचारी व त्रुटिपूर्ण है। आबकारी आयुक्त ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है तथा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया है। आदेश में राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट ऑफ होटल बार/क्लब बार लाईसेंस) रूल्स, 1973 के नियम 3(3) का उल्लेख किया है। अपीलार्थी नियम 69(1) के तहत प्रारम्भिक लाईसेंस फीस जमा कराने को तैयार है। उक्त कथन के साथ आबकारी आयुक्त का अपीलाधीन आदेश अपास्त करने की मांग की तथा वर्ष 2014–15 के लिये लाईसेंस की मांग की।

11. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने आबकारी आयुक्त के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

12. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

लगातार................3

13. प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड एवं तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2012–13 के लिये लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु उक्त प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट ऑफ होटल बार/क्लब बार लाईसेंस) रूल्स, 1973 के नियम 3(3) के तहत राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 69(1) के अनुसार देय प्रारम्भिक अनुज्ञा शुल्क की राशि जमा नहीं करवाई गई है। इस सम्बन्ध में नियम 3(3) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

3. Eligibility and procedure for grant of hotel licence-

(3) Every application for a Hotel Bar/Club Bar Licence shall be properly signed and shall be accompanied by the following amount of initial fee which shall be in addition to the usual annual fee payable under rule 69(1) of the Rajasthan Excise Rules, 1956.

14. पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 69(1) के तहत देय प्रारम्भिक लाईसेंस फीस की राशि नियमानुसार विभाग में जमा करवाई गई हो एवं ना ही अपील के साथ अथवा दौराने बहस ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया गया है। आबकारी आयुक्त द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट ऑफ होटल बार/क्लब बार लाईसेंस) रूल्स, 1973 के नियम 3(3) के अन्तर्गत राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 69(1) के प्रभावी प्रारम्भिक अनुज्ञा शुल्क की राशि राजकोष में जमा कराने के असफल रहने पर आवेदन को विचारणीय नहीं समझा गया व खारिज किया गया। ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र नियमानुसार अस्वीकार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है।

15. अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उन्हें वर्ष 2014–15 के लिये लाईसेंस जारी कर दिया जावे, जिसके लिये वे निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु तैयार है। प्रकरण से सम्बन्धित नहीं होने के कारण यह बिन्दु सुनवाई योग्य नहीं है। अतः खारिज किया जाता है।

16. परिणामतः आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने के कारण इसकी पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

17. निर्णय सुनाया गया ।

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष